

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 118
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

सेवा भोज योजना

118. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा सेवा भोज योजना के तहत इसके आरंभ से अब तक प्रतिपूर्ति की गई राशि का वर्ष और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के तहत संगठनों या ट्रस्टों को संगठनवार और न्यासवार कितनी राशि प्राप्त हुई है;
- (ग) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए मानदंड क्या हैं; और
- (घ) क्या सभी पात्र आवेदकों को प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क): संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत अगस्त, 2018 में की गई थी। सेवा भोज योजना की शुरुआत से सरकार द्वारा इसके अंतर्गत प्रतिपूर्ति की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	राज्य	जारी निधि
1.	2019-2020	पंजाब	171.00
		आंध्र प्रदेश	24.90
2.	2020-2021	पंजाब	169.45
3.	2021-2022	पंजाब	154.92
4.	2022-2023	पंजाब	143.00
5.	2023-2024	पंजाब	146.00

- (ख): इस योजना के अंतर्गत संगठनों/न्यासों द्वारा प्राप्त राशि का संगठन-वार, न्यास-वार विवरण **अनुलग्नक** पर संलग्न है।
- (ग): इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के मानदंड निम्नानुसार हैं:
- (i) धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23खखक) के उपबंधों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत शामिल या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के उपबन्धों के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या सोसाइटी या कारपोरेट निकाय, या संगठन या संस्थान, अथवा धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25, जैसा भी मामला हो, के उपबन्धों के तहत गठित तथा पंजीकृत कंपनी, अथवा उस समय पर प्रवृत्त किसी कानून के तहत धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, अथवा धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी।
 - (ii) आवेदक, सार्वजनिक न्यास या सोसायटी या कारपोरेट निकाय या संगठन या संस्थान, जैसा भी मामला हो, मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों, वक्फों, गिरजाघरों, यहूदी उपासना गृहों, पारसी पूजाघरों या धार्मिक उपासना के अन्य सार्वजनिक स्थलों सहित सार्वजनिक, धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों या धर्मार्थ दान के माध्यम से निःशुल्क एवं बिना किसी भेदभाव के भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारे के निःशुल्क तथा परोपकारी वितरण के धर्मार्थ/धार्मिक कार्यकलापों में अवश्य शामिल हो।
 - (iii) ये संस्थाएं/संगठन इस सहायता के लिए आवेदन करने से पूर्व, पिछले तीन वर्षों से कार्यरत होने चाहिए।
 - (iv) केवल वे संस्थाएं वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगी जो आवेदन करने के दिन कम से कम विगत तीन वर्षों से जनता को निःशुल्क भोजन, लंगर और प्रसाद वितरित कर रही हों। इन संस्थाओं को इस आशय से स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (v) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी, जो निःशुल्क भोजन वितरित करने के प्रयोजन से केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं: उन्हें स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (vi) ये संस्थाएं एक कैलेंडर माह में कम से कम 5000 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन वितरित कर रही हों।
 - (vii) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उपबंधों के अंतर्गत अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अंतर्गत काली सूची में शामिल संस्था/संगठन इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (घ): जी, हां। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर और इस स्कीम के लिए किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार, चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का समय पर संवितरण सुनिश्चित किया जाए।

'सेवा भोज योजना' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संगठनों के नाम	जारी की गई निधि
1.	2019-2020	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), अमृतसर	171.00
		तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति	19.63
		श्री वैकटेश्वर अन्नप्रसादम न्यास, तिरुपति	5.27
2.	2020-2021	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	159.39
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना	1.22
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर	8.84
3.	2021-2022	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	149.83
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना	0.28
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर	4.81
4.	2022-2023	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	140.44
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना	0.80
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर	1.76
5.	2023-2024	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	142.12
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर	3.88
